77/20 शिवनारायण - शैतान सिंह

दिनांक	आज्ञा पत्र	
31.10.23	पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलंट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19.12.23 को पेश हो।	
19/12/23	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उप./[illegible] बहस दिनांक 18.1.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
18.1.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वास्ते बहस दिनांक 1.3.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
1-3-24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21.5.24 को पेश हो।	
21-5-24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14.6.24 को पेश हो।	
14.6.24	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट / रेस्पो० उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय आज अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19.7.24 को पेश होवे।	
19.7.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5/8/24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
5/8/24	पत्रावली पेश। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद बरतीव तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 77 / 2020

1 शिवभगवान पुत्र श्री गंगाराम
2 जगदीश पुत्र श्री भंवर लाल
3 श्रीमती शारदा पत्नी श्री भंवरलाल
4 रामलाल पुत्र गोविन्दराम
समस्त जाति जाटान, निवासीगण ग्राम हापास, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 शैतान सिंह दत्तक पुत्र जवाहरराम, जाति जाट निवासी ग्राम हापास, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर राज.।
2 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.12.2019 अदालत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ सीकर बउनवानी प्रार्थना पत्र शैतान सिंह बनाम तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ प्रार्थना पत्र संख्या 11 / 2019 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थिति :

1. श्री विद्याधर सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भंवरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांक:— 5.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 11/2019 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थना पत्र 251 ए बाबत पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता कृषि भूमि खसरा नम्बर 104 गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 105, 106, 107 व (108) 672/108 तन हापास, तहसील लक्ष्मणगढ़ सीकर के खातेदार, काश्तकार है व खसरा नम्बर 104 गैर मुमकिन चाह में विद्युत चालित पम्पींग सेट लगाकर निरन्तर आबयाशी करते आ रहे है व आवासीय ढाणी बनाकर गैर मुमकिन चाह के पास आबाद है। अपीलकर्तागण ने खसरा नम्बर (108), 672/108 की पूर्वी सींव के सहारे—सहारे खसरा नम्बर (108), 672/108 के खातेदार, काश्तकार जबरू खां, फुले खां व हुसैन खां को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

आवागमन हेतु रास्ता की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दी हैं जिनका अन्य खातेदारी की भूमि से कोई सरोकार नहीं है। अपीलकर्ता के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर (108), 672/108 तन हापास में ग्राम हापास से खसरा नम्बर (108), 672/108 में प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा में बअक्षर ए स्थान तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज कटाणी रास्ता आता है जो बअक्षर ए से रेस्पो. संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में से होकर खसरा नम्बर 87 तक व उसके आगे उक्त रास्ता पूर्वी दिशा की ओर जाता है जो सेटलमेंट के पूर्व से राजस्व रिकार्ड में कटाणी दर्ज है तथा खसरा नम्बर 87 से खसरा नम्बर 180 के बअक्षर बी स्थान तक जाने वाला रास्ता अपीलकर्तागण के खातेदारी की कृषि भूमि में आने जाने का रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलकर्ता को जानबुझकर अपनी खातेदारी की भूमि में राजस्व रिकार्ड में दर्ज कटानी रास्ते को विलोपित करवाने की दुर्भावना से अपीलकर्तागण की खातेदारी में बअक्षर ए से बी स्थान तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की नियत से गलत व मौके की स्थिति के विपरित तथ्य दर्ज कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मूल भावना के विपरित होने से प्रकटतः ही काबिले खारिज है प्रार्थना पत्र को पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक की मनगढ़त व गलत रिपोर्ट को आधार मानकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है रेस्पोडेन्ट के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 91 में आने जाने का रास्ता पहले से ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो सक्षम न्यायालय या प्राधिकृत अधिकारी के आदेश से विलोपित नहीं किया गया है। उक्त रास्ता का अंकन पूर्व सेटलमेंट व वर्तमान सेटलमेन्ट की सर्वेशीट में इन्द्राज है व भू–अभिलेख व पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में उक्त रास्ता को दर्शाया गया है इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने बिना कोई जांच किये ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो प्रकटतः ही निरस्तनीय है। अपीलकर्तागण को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है ओर नहीं विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

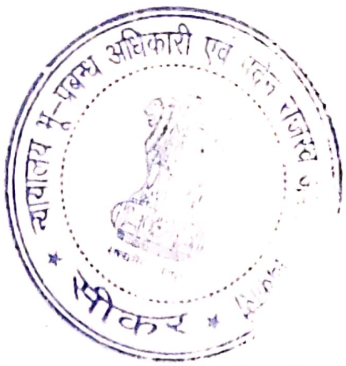

का अवलोकन किया है अपीलकर्तागण को पक्षकार बनाये बिना उनके खातेदारी की कृषि भूमि में से आदेश जैर अपील द्वारा किसी भी प्रकार से रास्ता कायम करवाने का व रास्ता कायम करने का अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को नहीं है इसलिए भी आदेश जैर अपील निरस्तनीय है। अपीलकर्ता को न तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया है और न ही विचारण न्यायालय ने स्वविवेक से उन्हें नोटिस देकर आदेश जैर अपील पारित करने के पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया है अपीलकर्तागण के खातेदारी की भूमि में से आदेश जैर अपील द्वारा रास्ता कायम करने का निर्णय देने के पूर्व न्याय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई हेतु अवसर दिया जाना कानूनन आवश्यक है। भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवार हल्का ने विचारण न्यायालय के आदेशानुसार मौके की रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलकर्तागण को कोई नोटिस नहीं दिया है इसलिए भी आदेश जैर अपील निरस्तनीय है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 व धारा 96 स्वीकार किया जाकर अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा मौके पर चालु रास्ते को राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता अंकित करवाने के लिए प्रस्तुत किया गया था। पत्रालवी में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम हापास के खसरा नम्बरान 493, 489, 488, 487, 94, 100, 103, 108, 89, 88, 30, 31, 33/1 , 33/2, 29 व 35 के सहखातेदारों को सूचित किया जाकर मौके पर उपस्थित खातेदारों के रूबरू उक्त खसरा नम्बरान में से होकर जाने वाले रास्ते का मौका मुआयना किया। खसरा नम्बर 493, 489, 488, 487, 94, 100, 103, 108, 89 तक नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है, मौके पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है तथा खसरा नम्बर 88, 30, 31, 31/1, 33/2, 29 व 35 में से होकर रास्ता खसरा नम्बर 36 को जोड़ता है। खसरा नम्बर 36 गैर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

मुमकिन सड़क है। मौके पर आवागमन चालु है तथा रास्ते के दोनों और आंशिक भाग में मेड़बंदियां व तारबंदियां की हुई है। मौके पर खसरान में रास्ते का विवरण इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 493 में 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 489 में 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 488 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 487 में 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 94 में 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 100 में 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 103 में 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 108 में 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 89 में 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 88 में 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 30 में 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 33/1 में 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 33/2 में 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 29 में 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 35 में 0.10 हैक्टेयर है। उक्त खसरा में से होकर जाने वाले रास्ते को कटानी करवाने के लिए उपस्थित सहखातेदारों ने सहमति जाहिर की तथा प्रस्तावित रास्ता करीब 8–10 वर्ष से चालु है। रास्ता कटानी किया जाता है तो जनहित में आम व्यक्ति को आने जाने की सुविधा मिलेगी। इस प्रचलित रास्ते को कटानी किये जाने के लिए 21 खातेदारों ने हस्ताक्षर अगूंठा निशानी अंकित कर सहमति पत्र प्रदान किया है। मौका रिपोर्ट पर भी हस्ताक्षर अगूंठा निशानी अंकित की है। जनहित हेतु कायम किये गये प्रचलित रास्ते से अपीलांट प्रभावित नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा मौके पर चालु रास्ते को राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता अंकित करवाने के लिए प्रस्तुत किया गया था। पत्रालवी में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम हापास के खसरा नम्बरान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

493, 489, 488, 487, 94, 100, 103, 108, 89, 88, 30, 31, 33/1 , 33/2, 29 व 35 के सहखातेदारों को सूचित किया जाकर मौके पर उपस्थित खातेदारों के रूबरू उक्त खसरा नम्बरान में से होकर जाने वाले रास्ते का मौका मुआयना किया। खसरा नम्बर 493, 489, 488, 487, 94, 100, 103, 108, 89 तक नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है, मौके पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है तथा खसरा नम्बर 88, 30, 31, 31/1, 33/2, 29 व 35 में से होकर रास्ता खसरा नम्बर 36 को जोड़ता है। खसरा नम्बर 36 गैर मुमकिन सड़क है। मौके पर आवागमन चालु है तथा रास्ते के दोनों और आंशिक भाग में मेड़बंदियां व तारबंदियां की हुई है। मौके पर खसरान में रास्ते का विवरण इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 493 में 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 489 में 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 488 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 487 में 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 94 में 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 100 में 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 103 में 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 108 में 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 89 में 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 88 में 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 30 में 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 33/1 में 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 33/2 में 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 29 में 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 35 में 0.10 हैक्टेयर है। उक्त खसरा में से होकर जाने वाले रास्ते को कटानी करवाने के लिए उपस्थित सहखातेदारों ने सहमति जाहिर की तथा प्रस्तावित रास्ता करीब 8–10 वर्ष से चालु है। रास्ता कटानी किया जाता है तो जनहित में आम व्यक्ति को आने जाने की सुविधा मिलेगी। इस प्रचलित रास्ते को कटानी किये जाने के लिए 21 खातेदारों ने हस्ताक्षर अगूंठा निशानी अंकित कर सहमति पत्र प्रदान किया है। मौका रिपोर्ट पर भी हस्ताक्षर अगूंठा निशानी अंकित की है। जनहित हेतु कायम किये गये प्रचलित रास्ते से अपीलांट के हित प्रभावित होना नहीं माना जा सकता है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 5.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

Scanned with OKEN Scanner